	पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	
10/9/24	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। उभयपक्षों की बहस, पत्रावली मय दस्तावेजात मनन करने पर न्यायालय यह पाता है कि प्रा० पत्र अस्थाई	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय ________ काल्हु उर्फ कन्हैयालाल बनाम अर्जुनलाल वगैरह

मुकदमा संख्या / वर्ष : प - 58/2024 / 20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/9/24	निषेधाज्ञा, दावा बाबत विभाजन व तकसमा के साथ पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित कब्जे काश्त की भूमि है। अत: वाद बहुलता रोकने व वाद की विषयवस्तु को संरक्षित रखने हेतु वा. प्रा० पत्र के चरण संख्या 02 मे वर्णित भूमि ग्राम लालपुरा, भू० अ० नि० क्षेत्र कालवाड तह० कालवाड अवस्थित खसरा नम्बर 288, रकबा 8 बीघा ख.न. 289 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 290 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है, परन्तु यह आदेश वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में बने हुके आवासीय मकानों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं यथा पानी, बिजली के उपयोग-उपभोग पर प्रभावी नहीं होगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 10/9/24 को सरे इजलास सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम